भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3653

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

आरटीई के अंतर्गत दाखिला

†3653. **डॉ. डी. रवि कुमार:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत केंद्रीय प्रतिपूर्ति सहायता में विलंब/रोके जाने के कारण तमिलनाडु के निजी विद्यालयों में आरटीई के अंतर्गत दिए जाने वाले दाखिले प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त करने हेतु निजी विद्यालयों में आरटीई के 25 प्रतिशत कोटे पर निर्भर हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान तमिलनाडु को देय, जारी की गई तथा लंबित आरटीई प्रतिपूर्ति निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निर्बाध दाखिले और निजी स्कूलों को समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में समुचित सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को आसपास के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आसपास से आरक्षित करने और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित करती है और बाद में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन से प्रतिपूर्ति का दावा करती है। निजी स्कूलों को इस प्रकार प्रतिपूर्ति की गई राशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत

दावा की जा सकती है। आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सरकार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के कार्यान्वयन के लिए 'समुचित सरकार' है।

समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 'आरटीई पात्रता' घटक शामिल है। योजना के तहत, तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त निधियां जारी की जाती है और 'आरटीई अधिकार' घटक सहित निधियों का घटक-वार वितरण तमिलनाडु सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के कार्यान्वयन के लिए प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है और अनुमोदित राशि जारी कर दी गई है: -

(रू.लाख में)

वित्त वर्ष	आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के कार्यान्वयन के लिए प्रतिपूर्ति हेतु अनुमोदित राशि
2023-24	21091.79
2024-25	25617.15
2025-26	31498.01
